



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2013/माघ 16, 1934

No. 298]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2013/MAGHA 16, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2013

का.आ. 322(अ).—खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम, 2006 की धारा 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड प्राधिकरण (खाद्य प्राधिकरण) के निम्नलिखित पुराने/मौजूदा अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 2-2-2013 से दो माह की अवधि या उनकी आयु 62 वर्ष होने तक अथवा नए अंशकालिक व्यक्तियों की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाया जाता है :—

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत नियुक्त

1. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा

2. सुश्री इन्द्राणी कार

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत नियुक्त

3. श्री बीजॉन मिश्रा

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत नियुक्त

4. डॉ. एस. गिरिजा

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ङ.) के तहत नियुक्त

5. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि

6. हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि

7. बिहार सरकार के प्रतिनिधि

8. अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि

9. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक के प्रतिनिधि

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (च) के तहत नियुक्त

10. डॉ. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई

11. श्री वी. बालासुब्रमनियम

[फा. सं. पी-15025/48/2011-डीएफक्यूसी]

डॉ. अरुण कुमार पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2013

S.O. 322(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 and 7 of the Food Safety and Standards Act, 2006, the tenure of the following old/ existing part-time members of the Food Safety and Standards Authority of India (Food Authority), is extended for a period of two months with effect from 2-2-2013 or till they attain the age of 62 years or till the new part-time members are appointed whichever is earlier :—

Appointed under clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Act

1. Ms. Mona Malhotra Chopra
2. Ms. Indrani Kar

Appointed under clause (c) of sub-section (1) of Section 5 of the Act

3. Shri Bejon Mishra

Appointed under clause (d) of sub-section (1) of Section 5 of the Act

4. Dr. S. Girija

Appointed under clause (e) of sub-section (1) of Section 5 of the Act

5. Representative of Govt. of Andhra Pradesh
6. Representative of Govt. of Haryana
7. Representative of Govt. of Bihar
8. Representative of Govt. of Arunachal Pradesh
9. Representative of A&N Island Administrator

Appointed under clause (f) of sub-section (1) of Section 5 of the Act

10. Dr. (Smt) T.A. Kadarbhai
11. Shri V. Balasubramaniam

[F.No. P-15025/48/2011-DFQC]

Dr. ARUN KUMAR PANDA, Jt. Secy.